

किसान द्वारा स्वयं घोषणा पत्र

मैं..... पुत्र / पुत्री / पत्नी
..... गाँव जिला
..... का स्थाई निवासी यह घोषणा करता/करती हूँ कि

1. मैंने विभाग में..... (नं०) कृषि यंत्र / यंत्रों (.....
.....
.....
.....)
.....)पर अनुदान हेतु आवेदन किया है।
2. मैंने सभी विभागीय दिशानिर्देशों को पढ़ व समझ लिया है।
3. मैं विभागीय दिशानिर्देशों अनुसार स्कीम में लाभ हेतु पात्र हूँ व भविष्य में कोई कमी पाए जाने पर अनुदान का पात्र नहीं होऊँगा।
4. मैं मशीन के भौतिक सत्यापन के दौरान कमेटी को सभी दस्तावेज दिखाने व स्वयं सत्यापित प्रतियाँ देने के लिए बाध्य रहूँगा।
5. मैं भविष्य में विभागीय दिशानिर्देशों का पालन करूँगा।
6. मैंने पिछले 3 वर्षों में विभाग से उक्त मशीन पर अनुदान का लाभ नहीं लिया है। जब भी कृषि अधिकारियों द्वारा कृषि यंत्र को दिखाने के लिए कहा जायेगा मैं उसे प्रस्तुत कर दूँगा।
- 7- मेरे नाम पंजीकृत ट्रैक्टर की वैधता दिनांक/...../.....तक है। जिसका पंजीकरण नं०..... है।
8. मैं यह शपथ लेता हूँ कि मैं अपने खेत में फसल अवशेषों में कभी आग नहीं लगाऊँगा, अन्यथा विभाग द्वारा दिये गये अनुदान को वापिस करूँगा व भविष्य में किसी भी विभागीय स्कीम में लाभ का पात्र नहीं होऊँगा।
9. मैंने अपनी फसल का पंजीकरण मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर करवा लिया है जिसका पंजीकरण संख्या..... है एवं मेरा एकड़ कृषि योग्य भूमि पर मालिकाना हक है।

लाभार्थी के हस्ताक्षर
गांव
जिला
मो० नं०